

हरियाणा सरकार ने पंजाब गाँव साँझा भूमि(वनियिमन) नयिम, 1964 में कथिा संशोधन

चर्चा में क्यों?

5 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रपरिषद की बैठक में पंजाब गाँव साँझा भूमि(वनियिमन) नयिम, 1964 के उप-नयिम (2क) में संशोधन का नरिणय लयिा गया ।

प्रमुख बदि

- इसके अंतर्गत गौशाला, बायोगैस संयंत्र, पंचगवय उत्पाद, पशु चिकित्सा अस्पताल, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने वाली इच्छुक सामाजिक सोसायटी या धार्मिक संस्थाएँ तथा चारे को उगाने के लिये अब शामिल भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि के लिये पट्टे पर ले सकेंगी ।
- इसके लिये गौशालाओं में पट्टा-धारक को कुल पशु जनसंख्या का कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशुओं को पट्टा अवधि के दौरान गौशाला में रखना होगा ।
- इन नयिमों को 'पंजाब गाँव साँझा भूमि(वनियिमन) हरियाणा संशोधन नयिम, 2023' कहा जाएगा ।
- उक्त संशोधन के बाद, अब ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 वर्ष तक की अवधि के लिये कम से कम प्रतिवर्ष 5100 रुपये प्रति एकड़ की दर से पट्टे पर देने की अनुमति होगी ।
- धार्मिक संगठन को समाज के लिये परोपकारी योगदान के इतिहास के साथ उनके पूर्वजों को सत्यापित किया गया है जिसे ज़िला स्तरीय समिति और हरियाणा गौ-सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाएगा ।
- शामलात देह में किसी भी भूमि को गौशाला निर्माण के उपरांत प्रति 100 पशुओं (कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशु) के लिये 0.75 एकड़ के अनुपात में गौशाला की स्थापना हेतु पट्टे पर देने की अनुमति दी जाएगी ।
- शामलात देह में किसी भी भूमि को बायोगैस संयंत्र, पंचगवय उत्पाद, पशु चिकित्सा अस्पताल, अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र आदि जैसे सहायक उद्देश्यों के लिये 1500 पशुओं (कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशु) वाली गौशाला को 2 एकड़ भूमि पट्टे पर देने की अनुमति दी जाएगी ।
- गौशाला निर्माण के बाद गौचरण के लिये चनिहति भूमि में से 1.5 एकड़ भूमि प्रति 100 पशुओं (कम से कम 50 प्रतिशत बेसहारा पशु) के लिये चारे की खेती हेतु पट्टे पर देने की अनुमति दी जाएगी ।